FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम आहोर

भगाराम पुत्र पुनमाराम कौम मेणा नि० वालदरा तह० आहोर बनाम चनाराम पुत्र पुनमाराम कौम मेणा सा० वालदरा वगैरे

किस्म मुकद्दमा अन्तर्गत 88 Raj Act मु० नं० 87/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
13/08/18	वादी द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण दावा बाबत खातेदारी हक घोषित व जरिये दुरुस्ती का पेश किया है। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब होकर पावली आयन्दा मिति 28/9/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) आहोर, जिला–जालोर (राज.)	
8/10/18	पावली आज पेशी तारीख पेश हुई। वकील वादी ज्योतिन हाजिर। प्रतिवादी की तामील के सम्मन तहसील दार से प्राप्त नहीं हुवे है। पावली आयन्दा मिति 11/01/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
11/01/19	वकील वादी ज्योतिन हाजिर। प्रतिवादी सं० 1 व 2 की ओर वकालतनामा मय जवाब वकील जितेन्द्र चौधरी द्वारा पेश किया जो शामिल पावली हो। प्रतिवादी सं० 3 की तामील का P.F. तलबाना पेश करे। पेश करने पर जारी हो। पावली आयन्दा मिति 25/1/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17-10-19	पत्रावली आज पेश हुई। तहसीलदार आहोर की ओर से जवाब पूर्व में प्रस्तुत हो चुका है। पत्रावली शामिल है। पत्रावली निर्णयार्थ दिनांक 30-10-19 को पेश हो। [initials]	
30-10-19	पत्रावली आज पेश हुई। प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 का भी जवाब पूर्व में पेश हो चुका है। पत्रावली शामिल है। प्रतिवादीगण सं० 1 व 02 को इकबालिया बयान व सहमति व्यक्त भी है। पत्रावली निर्णयार्थ दिनांक 22-11-19 को पेश हो। वास्ते निर्णय हो। [initials]	
22-11-19	पत्रावली आज पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय चुनाव कार्य वर्ष 2019 में व्यस्त होने से पत्रावली निर्णयार्थ दिनांक 12-12-19 को पेश हो। [initials]	
12-12-19	पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली निर्णयार्थ दिनांक 30-12-2019 को वास्ते आदेश हेतु पेश हो।	
30-12-19	पत्रावली आज पेश हुई। निर्णय पृथक सुनाया गया। लिखा जाकर पत्रावली शामिल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [initials]	

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर आहोर पीठासीन अधिकारी श्री प्रशान्त शर्मा RAS

राजस्व वाद संख्या 87 /2018

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
भगाराम पुत्र पुनमाराम कौम मेणा, निवासी वलदरा, तहसील आहोर, जिला जालोर (राज.)		1. चतराराम पुत्र पुनमाराम 2. वरजु बेवा पूनमाराम कौम मेणा, निवासीगण वलदरा, तहसील आहोर, जिला जालौर 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर

दावा बाबत् नाम की घोषणा एंव रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1995

उपस्थिति :– श्री मांगीलाल चौधरी वकील वादी

श्री जितेन्द्र कुमार चौधरी वकील प्रतिवादी संख्या 01 व 02

तहसीलदार आहोर प्रतिवादी संख्या 03

निर्णय

दिनांक :– 30/12/2019

वादी द्वारा दावा बाबत् नाम की घोषणा एंव रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1995 पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा वलदरा, पटवार क्षैत्र वलदरा, तहसील आहोर जिला जालौर में स्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तनाम खसरा नम्बर निम्न प्रकार प्रकार है ।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर, जिला–जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर	रकबा(हैक्टर)	किस्म
358	0.85	सेवज दोयम
कुल खसरा न.–1	**कुल रकबा 0.85 हैक्टर**	**किस्मानुसार**

उपरोक्त खसरा नम्बर की आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की शामलाती आई हुई है, वादी द्वारा केवल मात्र राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम परबूराम पुत्र पुना, के स्थान पर भगाराम पुत्र पुनमाराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतु दावा नाम की घोषणा का पेश किया है, वादी का नाम सहीं एवं वास्तविक व निजी दस्तोवजात् में दर्ज नाम के अनुसार उपरोक्त राजस्व रेकर्ड में परबूराम पुत्र पुना, के स्थान पर भगाराम पुत्र पुनमाराम के नाम की घोषणा की जावें। वादी का वास्तविक नाम भगाराम ही है एवं परबूराम व भगाराम एक ही व्यक्ति है। सबुत हेतु वादी ने अपने निज़ी दस्तावेजात् यानि आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, परिवार राशनकार्ड, भारत सरकार द्वारा जारी पहचान कार्ड, ईत्यादि दस्तावेजो में वादी भगाराम पुत्र पुनमाराम ही नाम दर्ज है।

अतः श्रीमान के न्यायालय में नाम की घोषणा का वाद म्य शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा वलदरा, के वर्तमान खसरा नम्बर 358 कुल रकबा 0.8500 हैक्टर की आराजी में वादी का नाम मिस्टेक त्रुटिवंश वर्तमान राजस्व रेकर्ड में भगाराम पुत्र पुनमाराम के स्थान पर परबूराम पुत्र पुना, दर्ज कर दिया है इस कारण नाम में दुरूस्ती कर वादी का नाम भगाराम पुत्र पुनमाराम दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें। तथा राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती हेतु तहसीलदार आहोर पर आदेश प्रदान करावें।

वादी द्वारा वाद पत्र म्य शपथ पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया जा कर जरिये नोटिस के प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से वकील ने अपना जवाब पेश कर निवेदन किया की राजस्व रेकर्ड में

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) आहोर, जिला-जालोर (राज.)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर, जिला–जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

परबूराम के स्थान पर वादी का नाम भगाराम पुत्र पुनमाराम दर्ज किया जाता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 03 ने अपना जवाब पेश कर निवेदन किया की मौजा वलदरा, के वर्तमान खसरा नम्बर 358 रकबा 0.8500 हैक्टर में वादी भगाराम की बजाय रेकर्ड में परबूराम दर्ज हुआ है, इस कारण वादी द्वारा पेश दस्तावेजो के आधार पर नाम दुरूस्त कर भगाराम किया जाना न्यायसंगत है। इस प्रकार दस्तावेजो एवंम् प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर दावा डिक्री फरमावें।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादी द्वारा बहस के दौरान दस्तावेज फहरिस्त के साथ आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, परिवार राशनकार्ड, भारत सरकार द्वारा जारी पहचान कार्ड, ईत्यादि दस्तावेज पेश किये जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादी द्वारा कथन किया गया कि राजस्व रेकर्ड में वादी स्वम् का नाम परबूराम के स्थान पर भगाराम दर्ज करवाना चाहता हूँ वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजो एवम् प्रतिवादीगण 01 व 02 द्वारा भी ईकबालिया जवाब दावा पेश कर वादी का नाम दुरूस्त किये जाने में सहमति व्यक्त की है। अतः दावा डिक्री फरमाते हुये वादी का नाम भगाराम दुरूस्ती का आदेश फरमावें। प्रतिवादीगणं संख्या 03 राज्य पैरोकार उपस्थित। जिन्होने कथन किया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र, शपथ पत्र, अन्य दस्तावेजो की प्रस्तुत छाया प्रतियो के अनुसार वादी का नाम परबूराम नहीं हो कर भगाराम होना सिद्ध हो रहा है। तथा सभी तथ्यो के आधार पर वादी का नाम भगाराम पुत्र पुनमाराम दुरूस्त किया जाता है तो राज्य सरकार का हित प्रभावित नहीं होना। और कोई नई बात नहीं कहीं।

हमने सम्पूर्ण प्रत्रावली का अध्ययन किया एवं बहस के बिन्दूओं पर मनन भी किया। जिसके अनुसार वादी अपना नाम भगाराम पुत्र पुनमाराम सिद्ध करने में सफल रहने से दावा

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर, जिला-जालोर (राज.)

वादी स्वीकार किया जा कर नाम दुरूस्त किया जाने योग्य प्रतीत हो रहा है।

अतः दावा वादी डिक्री किया जाता है कि मौजा वलदरा, के वर्तमान खसरा नम्बर 358, कुल रकबा 0.85 हैक्टर से सम्बधित राजस्व रेकर्ड में दर्ज सह–खातेदार परबूराम पुत्र पुना के स्थान पर भगाराम पुत्र पुनमाराम को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार आहोर माफिक निर्णय राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। प्रत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रशान्त शर्मा RAS)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर, जिला–जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner